तारिख हुक्म

29.10.25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय मे दिनांक 14.11.25 को पेश हो।

14.11.25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी की पूर्व मे एक तरफा बहस सुनी गई वाद वादी स्वीकार किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जा कर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली मे डिक्री की प्रति तहसीलदार बगरू को पालन दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी ),बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज॰
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.
दावा संख्याः— 30/2021

1. रायचन्द्र मुतबन्ना स्व. रामलाल रेगर निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
2. मु. सोहनी पुत्री स्व. रामलाल रेगर निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
3. मु. रतनी पुत्री स्व. रामलाल रेगर निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
4. मु. मोहनी पुत्री स्व. रामलाल रेगर निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
5. मु. प्रेम पुत्री स्व. रामलाल रेगर निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
6. मु. प्रतापी पत्नी स्व. रामलाल रेगर निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
7. छीतर पिता देवी रेगर निवासी मुरोली तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. मांगीया पिता हेमा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
2. बाबूडा पिता हेमा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
3. रामा पिता हेमा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
4. हरलाल पिता स्व. चम्पा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
5. अम्बालाल पिता स्व. चम्पा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
6. मु. रामी पुत्री स्व. चम्पा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
7. मु. प्रेम पुत्री पिता स्व. चम्पा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
8. श्रीमती चेनी पत्नी स्व चम्पा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ (आदेश दि.03.09.25 से नाम तर्क)
9. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, ग्रामीण विकास बैंक शाखा नन्दवाई तह. बेगूँ
10. श्रीमान भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार बेगूँ जिला चितौडगढ़
11. श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला चितौडगढ जरिये प्रतिनिधी राजस्थान सरकार

प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :— 14.11.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188—209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वाद पत्र इस प्रकार से है कि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि आराजीयात मौजा मुरोली प.ह. माधोपुर तह. बेगूँ में स्थित है, जो आराजीयात वादीगण सं. 1 से 5 के पिता व वादी सं. 6 के पति स्व. रामलाल और वादी सं. 7 छीतर जी दोनों से संयुक्त रूप से छोगा पिता भारमल जी ओड निवासी मुरोली तह. बेगूँ से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 03.11.66 को क्रय की।

यह कि वादीगण सं. 1 से 5 के पिता स्व. रामलाल व वादी सं. 7 छीतर जी ने जो छोगा जी ओड से आराजी क्रय की उसके नम्बर आराजी सं. 45/1 रकबा 1बीघा 10 बिस्वा , आराजी नं. 45/2 रकबा 1 बीघा, आराजी सं. 53 रकबा 3 बिस्वा , आराजी नं. 43 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा है। उक्त दो बीघा एक बिस्वा आराजी को 1250/—रूपयो में कुल हक हकूक नीम सीम के दरख्त फलदार व गेरफलदार सब का मालिकाना हक प्राप्त कर चाह नं. 33 से हक सर पिलाई का हक के क्रय किया और सम्वत 2033 कार्तिक बुदी 5 तद्नुसार दिनांक 03.11.1966 को विक्रय पत्र निष्पादित करवा उप पंजीयन बेगूँ में पंजियन करवाया और मौके पर कब्जा प्राप्त किया तभी से लेकर आज तक वादीगण का बिना किसी बाधा के निरन्तर बेरोक टोक काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि उक्त विवादित आराजीयात के पूर्व के आराजी नम्बर 45/1,45/2,53, 43, 49, 41, थे जिसके परिवर्तित होकर नये आराजीह नम्बर 40, 41, 43 बने मिलान खसरे की नकल साथ पेश है।

यह कि वादी सं. 1से 5 के पिता और वादी सं. 6 के पति व वादी सं. 7 द्वारा विवादित आराजीयात को क्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित करने के बावजूद कानूनी जानकारी के अभाव में विवादित आराजीयात का इन्तकाल अपने नाम खुलवाने की चूक की। अब जब वादी सं. 1 स्व. रामलाल जी मृत्युपरान्त विवादित आराजी का इन्तकाल वादी सं. 1 से 6 के नाम कराने के लिए पटवार हल्का पटवारी के पास गया तो जानकारी में आया कि उक्त आराजी तो विक्रेता स्व. छोगा जी रेगर के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम पर है तो तहसील में जाकर पुराना रेकार्ड दिनांक 12.01.2021 को निकलवाने से पुख्ता जानकारी हुई और विक्रय पत्र की नकल पंजीयक कार्यालय चितौडगढ से दिनांक 24.02.2021 को प्राप्त कर उक्त विवादित आराजीयात को अपने नाम कराने की आवश्यकता होने से घोषणा का यह वाद प्रस्तुत है।

यह कि पूर्व खातेदार स्व. छोगा जी द्वारा उक्त विवादित आराजीयात को बेचान करने की जानकारी स्व छोगा जी के लडके हेमा और चम्पा जी को थी लेकिन पटवार हल्का पटवारी से मिलकर स्व. छोगा जी की विरासत का इन्तकाल उक्त दोनों ने अपने नाम खुलवा लिया और उक्त दोनो की मृत्यु के बाद पटवार हल्का पटवारी से मिलकर बिना कब्जे काश्त के प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 ने विरासत का

ल अपने नाम पर खुलवा लिया और अपने नाम से प्रतिवादी सं. 9 बैंक के रहन करवा के धोखे से प्राप्त कर लिया जिसका की उनको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

यह कि प्रतिवादीगण के दादा स्व. छोगा जी द्वारा विवादित आराजीयात का विक्रय पत्र निष्पादन कर दिनांक 03.11.1966 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर देने से तथा तभी से लगातार वादीगण का कब्जा काश्त होने से प्रतिवादीसं. 1 से 8 का विवादित आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं रहा और न ही है। इसलिए वादीगण उक्त विवादित मे से प्रतिवादी सं. 1 से 8 का नाम हटाया जाकर वादीगण अपने नाम खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है।

यह कि विवादित आराजी मे प्रतिवादी सं. 1 से 8 का नाम गलती से दर्ज होने का वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 से तकाजा कर तहसील में चल कर नाम दुरूस्त कराने का कहने पर वादीगण को जमीन विक्रय कर खुर्द बुर्द करने और जबरन कब्जा करने की धमकियॉ दी जाने से वाद प्रस्तुत करने की नौबत आई। यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह वादीगण के हक हिस्से व तनहा कब्जे काश्त की कयशुदा पुश्तैनी आराजीयात पर प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 किसी प्रकार से दखलअन्दाजी नहीं करें न करावे न ही दौराने वाद विवादित आराजीयात को रहन बय बक्षीस इत्यादि करे न करावे यदि किया जाता है तो वह उक्त वाद के आधार पर शुन्य घोषित किया जावें और न ही राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन ही करे न करावे वादीगण को विवादित आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

यह कि वाद कारण विवादित आराजी में वादी सं.1 स्व. रामलाल जी मृत्युपरान्त विवादित आराजी का इन्तकाल वादी सं. 1 से 6 के नाम कराने के लिए पटवार हल्का पटवारी के पास गया तो जानकारी में आया कि उक्त आराजीयात तो विक्रेता स्व. छोगा जी रेगर के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम है तो तहसील मे जाकर पुराना रेकार्ड दिनांक 12.01.2021 को निकलवाने से पुख्ता जानकारी हुई तब प्रतिवादी सं0 1 से 8 का नाम गलती से दर्ज होने का वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से 8 को तकाजा कर तहसील मे चलकर नाम दुरूस्त कराने को कहने पर वादीगण को जमीन विक्रय करने आरैर जबरन कब्जा करने की धमकीयॉ दी जाने से पैदा होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि प्रतिवादी सं. 9, 10, 11 वाद में आवश्यक पक्षकार ऋण दाता बैंक भूअिमधारी व प्रतिनिधी राजस्थान सरकार होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद वर्णित विवादति आराजीयात तह. बेगूॅ में स्थित होने व पक्षकार भी तह. बेगूॅ के स्थाई निवासी होने के कारण वाद श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्रीमान से वादीगण निम्न अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है :–

(क) कि वाद वादीगण का स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित आराजी जिसके वर्तमान खाता संख्या 32 की आराजी संख्या 40, 41, 43 मे से प्रतिवादी सं0 1 से 8 का नाम हटाया जाने की घोषणा की जावे तथा विक्रयपत्र के आधार पर वादीगण सं. 1 से 7 के नाम खातेदार हक से दर्ज करने की घोषणा की जावे।

(ख) कि प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करें न करावें। न ही दौराने वाद विवादित आराजी को रहन बय बक्षीस इत्यादि न करें न करावें नहीं राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन ही करें न करावें यदि ऐसा किया जाता है तो वह उक्त वाद के आधार पर शुन्य घोषित किया जावें। वादीगण को विवादित आराजीयात का शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो बहक वादीगण हो व विरूद्ध प्रतिवादीगण हो प्रदान किया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 तक बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये, जबकि प्रतिवादी सं0 10 व 11 प्रतिनिधी राज.सरकार की ओर से भूमिधारी उपस्थित आये किन्तु प्रकरण में कोई जवाब वाद प्रस्तुत नहीं किया जाने से जवाब बंद किया गया। पत्रावली में मामला एक तरफा का होने से वादीगण की ओर से साक्ष्य वादीगण हेतु साक्ष्य शपथ पत्र वादी रामचन्द्र मुतबन्ना स्व. रामलाल रेगर का व गवाह मोडीराम पुत्र राजू ओड का प्रस्तुत किया गया तथा मुख्य परीक्षण मे वादी रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयान कलमबद्ध करा साक्ष्य पूर्ण की मामला एक तरफा होने से जिरह व पुनः परीक्षण निल रहा है, इसी प्रकार गवाह मोडीराम द्वारा भी मुख्य परीक्षण में अपनी साक्ष्य पूर्ण कर बयान कलमबद्ध कराये गये। प्रकरण मे वादीगण की ओर से एक तरफा साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात दावा पत्रावली पर बहस अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा सुनी गई।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के अनुसार ही निवेदन करते हुए कहा है कि वर्ष 1966 में प्रतिवादीगण के दादा श्री छोगा पिता भारमल जी ओड द्वारा उनके खाते की भूमि का पंजीकृत विक्रय हम वादीगण के पिता को किया जाने से उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर भूमि हम वादीगण के खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा फरमाई जावे साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न अन्य से करावें।

बहस सुने जाने के पंश्चात दावा पत्रावली में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसका विस्तृत उल्लेख करते हुए निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– प्रदर्श–1 नकल बैचाननामा आराजी– यह पंजीकृत विक्रय जो कि छोगा पिता भारमल जी ओड निवासी मुरौली द्वारा उनके खाते की कृषि आराजी मौजा मुरोली की आराजी संख्या . 45/1 रकबा 1बीघा 10 बिस्वा

जी नं. 45/2 रकबा 1 बीघा, आराजी सं. 53 रकबा 3 बिस्वा , आराजी नं. 43 रकबा 2 बीघा 1 का विक्रय श्री रामलाल जी छीतर जी पिता देवीलाल रेगर निवासी मुरौली को रूपये 1250/– में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कर कब्जा सिपुर्द किये जाने का उल्लेख उक्त विक्रय पत्र में किया हुआ , इस पंजीकृत विक्रय विलेख के दस्तावेज से वादीगण उक्त कृषि आराजीयात को अपने नाम पर घोषित करा पाने के अधिकारी पाये जाते है।

2– प्रदर्श–2 नकल भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी जमाबंदी संवत 2028 की नकल है। जिसमें दर्ज मौजा मरोली की आराजी संख्या 40, 41, 43 कीता–3 रकबा 2बीघा 13बिस्वा भूमि के खातेदार छोगा वल्द भारमल ओड दर्ज हैं।

3– प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी मौजा मुरोली की संवत 2045 से 48 की है जिसमें वर्णित कृषि आराजी 40, 41, 43 कीता–3 रकबा 0.429 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री हेमा चम्पा पिता छोगा ओड का नाम अंकित है यानि छोगा के बाद यह आराजी उनके पुत्रो के नाम पर दर्ज हुई है, इस जमाबंदी में एक नोट अंकित है कि श्री हेमा के बजाय विरासत से श्री मांगीया बाबुडा रामा पिता हेमा का नाम दर्ज की स्वीकृति हुई।

4– प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी मौजा मुरोली की संवत 2069 की है, जिसमें दर्ज आराजी संख्या 40, 41, 43 कीता–3 रकबा 0.4300 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री मांगिया बाबूडा रामा पिता हेमा हरलाल अम्यालाल पिता चम्पा रामी प्रेम पुत्री चम्पा श्रीमती चेनी ध.ह.स्व. चम्पा ओड का नाम दर्ज है।

5– प्रदर्श–5, प्रदर्श–6, प्रदर्श–7 भू–प्रबंन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग की पानडी है जिसमें गत आराजी नम्बर व रकबा के सैटलमेन्ट पश्चात नवीन आराजी नम्बर व रकबा कितना कितना दर्ज हुआ है उसका उल्लेख है जिसके अवलोकन से पाया कि गत आराजी नम्बर 45 के हाल नम्बर 40 व 49,51,45 के नवीन नम्बर 41 व गत आराजी नरम्बर 43, 45 के नवीन आराजी नॅम्बर 43 बने होकर उकत नवीन आराजी नम्बर प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है।

उपरोक्त प्रस्तुत सभी दस्तावेज के अवलोकन से वादीगण का वादपत्र पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक 7.11.1966 को खातेदार विकेता श्री छोगा पिता भारमल औड द्वारा उनकी गत आराजी संख्या 45/1 रकबा 1बीघा 10 बिस्वा आराजी नम्बर 45/2 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 41 रकबा 4 बिस्वा , आराजी नम्बर 53 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 43 रकबा 2 बिस्वा व आराजी नमबर 49 रकबा 1 बिस्वा कुल कीता–8 कुल रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि का विक्रय श्री रामलाल जी छीतर जी पिता देवीलाल रेगर निवासी मुरोली को रूपये 1250/– में कर पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कर कब्जा सिपुर्द किया तभी से केता व उनके बाद उनके वारिसान भूमि पर काबिज होकर काश्त व उपायोग उपभोग कर रहे है। लेकिन वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादीगण जो छोगा पिता भारमल के वारिसान है उनका ही नाम चला आ रहा है। जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी सख्या 4, 5, 6, 7 ने ब. रा. ग्रा.बैंक शाखा नन्दवाई से उक्त आराजीयात रहन रखते हुए ऋण प्राप्त कर लिया जिसका की उनको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। जिसे वादीगण हटाते हुए अपना नाम दर्ज कराने की घोषणा पंजीकृत विक्रय पत्र. के आधार पर करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नहीं आये ना ही कोई जवाब इत्यादि प्रस्तुत किया है इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा मुरौली पटवार हल्का माधोपुर की कृषि आराजी संख्या 40 रकबा 0.0200 हैक्टर, आराजी संख्या 41 रकबा 0.1400 हैक्टर व आराजी संख्या 43 रकबा 0.2700 हैक्टर कुल कीता–3 कुल रकबा 0.4300 हैक्टर भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 तक का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम उक्त कृषि आराजी राजस्व रेकार्ड में वादीगण के खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पबांद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करें न करावें। वादीगण को उनके खाते में दर्ज की गई आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। तथा प्रतिवादी सख्या 4, 5, 6, 7 ने ब.रा. ग्रा.बैंक शाखा नन्दवाई से उक्त आराजीयात पर लिया गया ऋण ब.रा.ग्रा.बैंक शाखा नन्दवाई प्रतिवादी सख्या 4, 5, 6, 7 की अन्य चल अचल सम्पत्ति से नियमानुसार वसूल करें।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

दावा संख्याः– 30/21

1. रायचन्द्र पुत्र स्व. रामलाल रेगर निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
2. मु. सोहनी पुत्री स्व. रामलाल रेगर निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
3. मु. रतनी पुत्री स्व. रामलाल रेगर निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
4. मु. मोहनी पुत्री स्व. रामलाल रेगर निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
5. मु. प्रेम पुत्री स्व. रामलाल रेगर निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
6. मु. प्रतापी पत्नी स्व. रामलाल रेगर निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
7. छीतर पिता देबी रेगर निवासी मुरोली तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. मांगीया पिता हेमा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
2. बाबूडा पिता हेमा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
3. रामा पिता हेमा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
4. हरलाल पिता स्व. चम्पा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
5. अम्बालाल पिता स्व. चम्पा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
6. मु. रामी पुत्री स्व. चम्पा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
7. मु. प्रेम पुत्री पिता स्व. चम्पा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ (आदेश दि.03.09.25 से नाम तर्क)
8. श्रीमती चेनी पत्नी स्व चम्पा जाति ओड निवासी मुरोली तह0 बेगूँ
9. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, ग्रामीण विकास बैंक शाखा नन्दवाई तह. बेगूँ
10. श्रीमान भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार बेगूँ जिला चित्तौडगढ़
11. श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला चित्तौडगढ जरिये प्रतिनिधी राजस्थान सरकार

प्रतिवादीगण

### निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 88–188 राज0काश्त0अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत एवं में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ............

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत एवं में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ............ आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 14.11.2025 को पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 88–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 14.11.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार अंकित डिक्री किया जाता हैः–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा मुरौली पटवार हल्का माधोपुर की कृषि आराजी संख्या 40 रकबा 0.0200 हैक्टर, आराजी संख्या 41 रकबा 0.1400 हैक्टर व आराजी संख्या 43 रकबा 0.2700 हैक्टर कुल कीता–3 कुल रकबा 0.4300 हैक्टर भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 तक का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम उक्त कृषि आराजी राजस्व रेकार्ड में वादीगण के खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पबांद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करें न करावें। वादीगण को उनके खाते में दर्ज की गई आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। तथा प्रतिवादी सख्या 4, 5, 6, 7 ने ब.रा.ग्रा.बैंक शाखा नन्दवाई से उक्त आराजीयात पर लिया गया ऋण ब.रा.ग्रा.बैंक शाखा नन्दवाई प्रतिवादी सख्या 4, 5, 6, 7 की अन्य चल अचल सम्पत्ति से नियमानुसार वसूल करें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 14.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/918 दिनांकः– 17-11-25

दावा संख्या 30/2021 व अनवान रायचन्द्र वगै बनाम मांगिया वगै वाद अ0धारा0 88–188 आर.टी.एक्ट में न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ